



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-28.04.2025

विषय:- नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त अजय कुमार राजभर थाना चोलापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, अपहृता/पीड़िता बरामद ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-141/2025 धारा 137(2),87 बी0एन0एस0 थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त अजय कुमार राजभर पुत्र शारदा राजभर निवासी ग्राम गोपपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को दिनांक-27.04.2025 को समय करीब 15.50 बजे मोहांव चौराहा थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार करते हुए, पीड़िता/अपहृता की सकुशल बरामदगी की गयी । उक्त सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण-

दिनांक-19.04.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष जो दिनांक-18.04.2025 को एक लेडिज ब्यूटी पार्लर में सिलाई सीखने गई थी उसे प्रतिवादी अजय राजभर बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर कहीं ले चला गया है, जिसके आधार पर थाना चोलापुर में मु0अ0सं0-141/2025 धारा 137(2),87 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 हरेन्द्र सिंह द्वारा संपादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजय कुमार राजभर पुत्र शारदा राजभर निवासी ग्राम गोपपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 22 वर्ष ।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त अजय कुमार राजभर ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपहृता/पीड़िता से काफी दिनों से प्यार करता हूँ और उसको दिनांक-18.04.2025 को शादी की नियत से उसे घर से बुलाकर अपने साथ लेकर चला गया था और जब मुझे मालूम चला कि पुलिस हमें खोज रही है तो मैं उसको उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक-27.04.2025 को समय करीब 15.50 बजे, मोहांव चौराहा थाना चोलापुर कमि० वाराणसी ।

बरामदगी का विवरण- मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहृता/पीड़िता, उम्र करीब 17 वर्ष बरामद ।

आपराधिक इतिहास-

1- मु०अ०सं० 141/2025 धारा 137(2),87 बी०एन०एस० थाना चोलापुर कमि० वाराणसी ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- उ०नि० हरेन्द्र सिंह थाना चोलापुर कमि० वाराणसी ।
- 2- हे०का० शिवशंकर राय थाना चोलापुर कमि० वाराणसी ।
- 3- म०का० वैशाली यादव थाना चोलापुर कमि० वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी